Laboratory Attendant

	exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/11-A.I(A)]

H.K. BHATT, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 156.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, जल संसाधन मंत्रालय दोनों जगह पर जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय शब्द को रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात :

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा अर्थात:

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक	58* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.18000) में स्तर-1	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर	**(i)** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन **(ii)** सरकारी या अर्ध सरकारी या विश्वविद्यालय आदि में जहां रासायनिक प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक उपस्करों, काँच भांड, आर्यकर्मकों आदि के साथ चालन स्थिति में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या प्रत्यायित किसी

					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से **आने वाले** अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	प्राइवेट रासायनिक प्रयोगशाला जहां ऐसी रासायनिक प्रयोगशाला चालन स्थिति में हो और जल विश्लेषण से व्योहार करती है में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित **जा**तियों और अनुसूचित जन**जा**तियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के रासायनिक अनुशासन में अधीक्षण रसायनज्ञ या वैज्ञानिक 'घ', —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए-31013/07/2017-जीडब्ल्यूई]

ए. के. वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सा. का. नि. 155 तारीख 6 जून, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र भाग –II खंड 3 उपखंड (i) तारीख 15 जून, 2013 में प्रकाशित कर दिए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 156.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Laboratory Attendant, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013 namely:–

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Laboratory Attendant, (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Laboratory Attendant, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Ministry of Water Resources", at both the placed where they occur, the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:–

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

4. In the said rules, for the Schedule the following Schedule shall be substituted, namely :–

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laboratory Attendant.	58* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18,000) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	(i) Matriculate from a recognised Board; (ii) two years working experience in chemical laboratory of Government or Semi Government organizations or Universities etc. where chemical laboratories are in working condition with chemical analytical instruments, glasswares, reagents, etc.; or two years working experience in any private chemical laboratory recognized or accredited by	Not applicable.	Two years.

Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), where such chemical laboratory is in working condition and is dealing with Water Analysis. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not applicable.	**Group-'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; 2. Superintending Chemist or Scientist-D in Chemical Discipline of Central Ground Water Board – Member; 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member.	Not applicable.".

[F.No. A-31013/07/2017-GWE]
A. K. WAHI, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th June, 2013 *vide* notification number G.S.R. 155, dated the 6th June, 2013.